न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1614–पीबीआर/2004 विरूद्ध आदेश दिनांक 13–11–2003 पारित द्वारा प्रशासकीय सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर, प्रकरण कमांक अपील 1900–एक/2000.

.....

मध्यप्रदेश शासन द्वारा खनिज निरीक्षक,
झाबुआ म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

ओछबलाल पिता लालचंद सोमानी
निवासी 241 प्रतापगंज मार्ग, इंदौर

..... अनावेदक

.....

श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, अभिभाषक–आवेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 10/3/16 को पारित)

यह पुनर्विलोकन आवेदक द्वारा म.प्र.भू–राजस्व संहिता (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 51 के अंतर्गत इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–11–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि राजस्व निरीक्षक झाबुआ द्वारा दिनांक 18–7–2000 को कलेक्टर के समक्ष इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि ग्राम भोरदू जिला झाबुआ की शासकीय भूमि सर्वे कमांक 250 क्षेत्रफल 3.70 हेक्टेयर में से अनावेदक द्वारा 7250 टन डोलोमाईट खनिज का अवैध उत्खनन किया गया है । कलेक्टर द्वारा उक्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण दर्ज कर दिनांक 23–04–2001 को आदेश पारित कर अनावेदक को अवैध रूप से 7250 टन डोलोमाईट के अवैध उत्खनन का दोषी पाते हुये संहिता की धारा 247(7) के अंतर्गत रुपये 8,64,000/– अर्थदण्ड अनावेदक पर अधिरोपित किया गया । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 31–7–2002 को आदेश पारित कर प्रथम

अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने पर इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–11–2003 से अनावेदक पर अधिरोपित अर्थदण्ड को कम कर बाजार मूल्य के 25 प्रतिशत अर्थदण्ड लगाया जाना आदेशित किया गया । इस न्यायालय द्वारा पारित इसी आदेश के विरूद्ध यह पुनर्विलोकन इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर ने अनावेदक द्वारा अवैध उत्खनन किया जाना प्रमाणित पाते हुये रुपये 8,64,000/– अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया था, जिसकी पुष्टि अपर आयुक्त द्वारा की गई है । इस न्यायालय द्वारा भी अनावेदक को अवैध उत्खनन किये जाने का दोषी पाया गया है, परन्तु कलेक्टर द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड को कम कर बाजार मूल्य के 25 प्रतिशत अर्थदण्ड अधिरोपित करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । उनके द्वारा इस न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाकर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश यथावत् रखे जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक की ओर से पेशी दिनांक 26–6–2009 को श्री अरूण वाजपेयी अधिवक्ता उपस्थित हुये हैं और तब से लगभग 6 वर्ष से भी अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत भी अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हो रहा है ।

5/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया गया । इस न्यायालय के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस न्यायालय द्वारा अनावेदक को अवैध उत्खनन का दोषी पाते हुये अपील निरस्त की गई है, ऐसी स्थिति में कलेक्टर द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड को कम करना वैधानिक दृष्टि से उचित कार्यवाही नहीं है और न ही संहिता की धारा 247(7) के प्रावधानों के अनुरूप है, अतः इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश का निम्न अंश निरस्त किया जाकर शेष आदेश यथावत् रखा जाता है :–

"अर्थदण्ड के बिन्दु पर संहिता की धारा 247(7) के अनुसार उत्खनित खनिज के बाजार मूल्य के अधिकतम दुगुने तक ही अर्थदण्ड आरोपित किया

जा सकता है । चूँकि झाबुआ जिला पिछड़ा क्षेत्र है वहॉ पर उत्खनन में लगे श्रमिकों को रोजगार का जरिया बड़ा सीमित है । इस दृष्टि से आरोपित अर्थदण्ड को अपीलार्थी के निवेदन पर उत्खनन के बाजार मूल्य के 25 प्रतिशत तक लगाया जाना आदेशित किया जाता है । अर्थदण्ड के प्रश्न पर अपील अंशतः स्वीकार करते हुये शेष अपील अमान्य की जाती है ।''

6/ यह पुनर्विलोकन स्वीकार किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर